न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2854–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–6–2013 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 15/अपील/2012–13.

श्रीमती कमलेश जैन पत्नी संतोष जैन
निवासी सिलवानी कृषक ग्राम बेगवा खुर्द
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– निर्मल कुमार जैन पुत्र शिखर चन्द्र जैन
2– राजकुमार जैन पुत्र शिखर चन्द्र जैन
निवासीगण गैरत गंज कृषक ग्राम बेगवा खुर्द
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका श्रीमती कमलेश जैन द्वारा तहसीलदार, सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ग्राम बेगवा खुर्द तहसील सिलवानी स्थित सर्वे कमांक 34/1/1/2 रकबा 0.92 एकड़ है । उक्त भूमि की सीमायें नष्ट हो जाने के कारण आवेदिका द्वारा दिनांक 6–6–2012 को सीमांकन कराया गया था, जिसमें आवेदिका की भूमि में से 0.162 हेक्टेयर पर अनावेदकगण का

संयुक्त रूप से अनाधिकृत कब्जा पाया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–70/2011–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 6–7–2012 को आदेश पारित कर आवेदिका की प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदकगण द्वारा 7 दिवस में कब्जा हटाकर तहसीलदार को सूचित करने सम्बन्धी निर्देश दिये गये । साथ ही संहिता की धारा 250 (6) के तहत अनावेदकगण पर 2,000/– रूपये प्रतिकर अधिरोपित कर जमा करने के आदेश भी दिये गये एवं संहिता की धारा 250 (5) के तहत 10,000/– रूपये का इस आशय के बन्धक पत्र निष्पादित करने के आदेश दिये गये कि आवेदिका को पुनः अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकरी द्वारा दिनांक 25–8–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–7–2012 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 12–6–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु दो वर्ष की समय–सीमा निर्धारित है, और अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, अतः पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में समय–सीमा की बाधा आयेगी। यह भी कहा गया कि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं कर आवश्यकता होने पर साक्ष्य ली जाकर अन्तिम निराकरण किया जाना चाहिए, अतः अनुविभागीय अधिकारी का यह दायित्व था कि वे प्रकरण में साक्ष्य आदि लेकर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अन्तिम रूप से निराकरण करते। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया, है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया

है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अंतिम रूप से निराकरण करना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदिका की ओर से संहिता की धारा 250 के प्रस्तुत आवेदन पत्र का अन्तिम रूप से निराकरण नहीं हुआ है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना ध्यान दिये आयुक्त द्वारा भी आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं किया जाकर अधीक्षक, भू–अभिलेख को प्रस्तुत किया गया है, जबकि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की विधिवत सूचना अनावेदकगण को नहीं दी गई है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही एवं पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका पुनः संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को सीमांकन त्रुटिपूर्ण होने के आधार पर निरस्त किया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रकरण में साक्ष्यों के जो कथन लिये गये हैं उसमें ऐसा कोई साक्षी नहीं है जो प्रश्नाधीन भूमि का मेढ़िया पड़ोसी कृषक हो, तथा सीमांकन के दौरान पंचनामे पर जिन व्यक्तियों द्वारा पंचनामा प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर किये गये हैं उनके कथन भी नहीं लिये गये हैं तब ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का विधिक दायित्व था कि वे आवश्यक साक्षियों को आहूत कर, साक्ष्य लेकर

संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अंतिम रूप से निराकरण करते, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही न कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है, और इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–06–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–08–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक साक्ष्य लेकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर